

नशुल्क खाद्यान्न योजना

प्रलिस के लिये:

राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम, 2013, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम, 2013, सरकारी नीतियाँ और हस्तकषेप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिये [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013](#) के तहत सभी पात्र परिवारों को नशुल्क खाद्यान्न ([चावल](#), [गेहूँ](#) तथा [मोटे अनाज](#)) प्रदान करने के लिये एक अधिसूचना जारी की।

- हालाँकि सरकार ने [प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना](#) को बंद कर दिया।

मोटे अनाज (Coarse Cereals):

- मोटे अनाज पारंपरिक रूप से देश के अल्प संसाधन वाले कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उगाए जाते हैं।
 - कृषि-जलवायु क्षेत्र फसलों और कस्मों की एक नश्चिती श्रेणी के लिये उपयुक्त प्रमुख जलवायु के संदर्भ में भूमि की एक इकाई है।
- ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, रागी (Finger millet) और अन्य छोटे कदन्न जैसे कोदो (Kodo), कंगनी या टांगुन (Foxtail), चेना (Proso) एवं सावाँ (Barnyard) एक साथ मोटे अनाज (Coarse Cereals) कहलाते हैं।
 - ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, रागी और अन्य छोटे कदन्न (कोदो, कंगनी या टांगुन, चेना एवं सावाँ) **पोषक अनाज** (Nutri-cereals) भी कहलाते हैं।
- मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री के लिये जाने जाते हैं और इनमें सूखा सहषिणु, प्रकाश-असंवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन आदा जैसी वषिषताएँ वदियमान होती हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:

- अधिसूचिती:
 - 10 सतिंबर, 2013
- उद्देश्य:
 - इसका उद्देश्य एक गरमिपूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर उचिती गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें [खाद्य और पोषण सुरक्षा](#) प्रदान करना है।
- कवरेज:
 - लक्षति सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रयियती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत का कवरेज कयिा गया है।
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की 81.35 करोड़ आबादी को कवर करता है।
- पात्रता:
 - राज्य सरकार के दशिा-नरिदेशों के अनुसार प्राथमकिता वाले परिवारों को TPDS के तहत कवर कयिा जाना है।
 - [अंत्योदय अन्न योजना](#) के तहत आने वाले परिवार।
- प्रावधान:

- प्रतमाह प्रतव्यक्त 5 कललग्राम खाद्यान्न, जसमें चावल 3 रुपए कललो, गेहूँ 2 रुपए कललो और मोटा अनाज 1 रुपए कललो दया जाता है।
- हालौक अंतयोदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतमाह प्रतपरवार 35 कललग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाज्मोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान कयि जाने का प्रावधान है।
- 14 वर्ष तक के बच्चों के लयि भोजन की व्यवस्था।
- खाद्यान्न या भोजन की आपूर्तनिही होने की स्थति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
- ज़िला और राज्य स्तर पर शकियात नविवरण तंत्र स्थापति करना।

इस संबंध में सरकार की पहलें:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
- तलहन, दलहन, ताड़ के तेल और मक्का पर एकीकृत योजनाएँ (ISOPOM)
- E-नाम पोर्टल

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम, 2013 के तहत कयि गए प्रावधानों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. केवल 'गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आने वाले परवार ही सब्सडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं।
2. परवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत कयि जाने के प्रयोजन से परवार की मुखया होगी।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छह महीने बाद तक प्रतदिनि 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युत कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- सार्वजनिक वतिरण प्रणाली और लक्षति सार्वजनिक वतिरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर बल दया गया है। 5 जुलाई, 2013 को अधनियमति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA) ने खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण को कल्याण से अधिकारि आधारति दृष्टिकोण में बदलाव को चहिनति कयि।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA), 2013 की मुख्य वशिषताएँ:
- 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को TPDS के तहत प्रतमाह 5 कललग्राम प्रतव्यक्त की समान पात्रता के साथ कवर कयि जाएगा।
- गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) तथा मध्याहन भोजन (MDM) योजनाओं के तहत नरिधारति पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे। 6 वर्ष तक के कुपोषति बच्चों के लयि उच्च पोषण मानदंड नरिधारति कयि गए हैं।
- गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ भी कम-से-कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ पाने की हकदार होंगी।
- NFSA के कार्यान्वयन से पहले राज्य सरकारों द्वारा मुख्य रूप से तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी कयि जाते थे जैसे कि गरीबी रेखा से ऊपर (APL), गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और अंतयोदय (AAY) राशन कार्ड अलग-अलग रंगों के होते हैं। NFSA, 2013 के अनुसार, APL और BPL समूहों को फरि से दो श्रेणियों- गैर-प्राथमकता और प्राथमकता में वर्गीकृत कयि गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को घर की मुखया होगी अतः कथन 2 सही है।
- गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ 600 कैलोरी ऊर्जा तथा प्रतदिनि 18-20 ग्राम प्रोटीन के पूरक आहार के रूप में माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टफाइड फूड और/या एनर्जी डेंस फूड के रूप में राशन प्राप्त करने की हकदार हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।

अतः वकिल्प (b) सही है।

??????:

प्रश्न. अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। मूल्यांकन कीजिये कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने कसि सीमा तक प्रगति की है। सुधार के लिये उपाय सुझाए। (2017)

प्रश्न. खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? (2019)

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? इसे प्रभावी और पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है? (2022)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/free-foodgrains-scheme>

